

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 336/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 12.09.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 12.09.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

01.थाना पवई: चोरी की 04 घटनाओं का सफल अनावरण, चोरी गये मोटरसाइकिल, मोबाइल व नकदी के साथ 01 शांतिर अपराधी गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना-

- दिनांक 11.09.25 को आवेदक/वादी श्री प्रेमसागर गुप्ता पुत्र रामसूरत गुप्ता निवासी ग्राम कछरा थाना पवई जिला आजमगढ़ के द्वारा दिये गये तहरीर बावत मोबाइल सैमसंग कीपैड फोन चोरी होने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 251/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ ।
- दिनांक 11.09.25 को मनोज कुमार पुत्र सूर्यभान सोनकर हाल पता स्वा0 केन्द्र पवई थाना पवई आजमगढ़ के तहरीर बावत सीएचसी पवई से स्टाप रूम से चार्जिंग प्वाइंट से रियलमी नारजो के चोरी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 252/25 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ ।
- दिनांक 11.09.25 को आवेदक नितेश विश्वकर्मा पुत्र जगदीश विश्वकर्मा निवासी ग्राम कछरा थाना पवई जनपद आजमगढ़ के प्रा0पत्र बावत दिनांक 10.09.25 की रात में अंकुल दुबे पुत्र अज्ञात द्वारा घर से 8800 रुपये चोरी करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 253/25 धारा 305(a) बीएनएस बनाम अंकुल दुबे पुत्र अज्ञात के पंजीकृत हुआ ।
- आवेदक प्रिन्स पासवान पुत्र हौसिला प्रसाद पासवान, निवासी ग्राम कछरा थाना पवई जनपद आजमगढ़ के द्वारा दिये गये तहरीर बावत दिनांक 11.09.25 की रात में अश्वनी दूबे उर्फ अंशुल दूबे पुत्र अशोक कुमार दूबे निवासी कांधोपट्टी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा घर से मो0सा0 चोरी किया गया एवं जाते समय ग्रामीणों द्वारा पकड़ लिया गया । ग्रामीणों द्वारा चोर को थाने पर लेकर आया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 254/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस बनाम अश्वनी दूबे उर्फ अंशुल दूबे पुत्र अशोक कुमार दूबे निवासी कांधोपट्टी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत हुआ ।

बरामदगी/ गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 12.09.25 को उ0नि0/विवेचक श्री शिवकुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अश्वनी दूबे उर्फ अंशुल दूबे पुत्र अशोक कुमार दूबे निवासी कांधोपट्टी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के निशानदेही पर चोरी किये गये मोबाइल सैमसंग कीपैड, 7200 रुपये तथा एक मोटरसाइकिल हीरो स्पेलण्डर प्रो की बरामदगी की गयी । बरामदगी के आधार पर सम्बन्धित अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी । मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त का चालान चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग:

- मु0अ0सं0 251/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना पवई आजमगढ़
 - मु0अ0सं0 252/25 धारा 305(ए) बीएनएस थाना पवई आजमगढ़
 - मु0अ0सं0 253/25 धारा 305(a) बीएनएस थाना पवई आजमगढ़
 - मु0अ0सं0 254/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना पवई आजमगढ़
- आपराधिक इतिहास
- मु0अ0सं0 251/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना पवई आजमगढ़
 - मु0अ0सं0 252/25 धारा 305(ए) बीएनएस थाना पवई आजमगढ़
 - मु0अ0सं0 253/25 धारा 305(a) बीएनएस थाना पवई आजमगढ़
 - मु0अ0सं0 254/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना पवई आजमगढ़
 - मु0अ0सं0 330/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
- बरामदगी विवरण ---

1. अभियुक्त के कब्जे से चोरी गये मोटरसाइकिल क्रमशः UP62AQ2751 हीरो स्पेलण्डर प्रो रंग काला सम्बन्धित मु0अ0सं0 254/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस तथा UP62CB4896 हीरो स्पेलण्डर पल्स सम्बन्धित मु0अ0सं0 330/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना अहरौला आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 251/25 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी गयी मोबाइल सैमसंग कीपैड
3. मु0अ0सं0 252/25 धारा 305(ए) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी गयी मोबाइल रियलमी नारजो
4. मु0अ0सं0 253/25 धारा 305(a) बीएनएस थाना पवई आजमगढ़ से सम्बन्धित चोरी गये पैसे में से 7200 रुपये बरामदगी/ गिरफ्तार करने वाली थाना पवई की टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव का0 अनुराग यादव का0 अनुपम यादव थाना पवई आजमगढ़



02. थाना कप्तानगंज: अवैध असलहा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 11.09.2025 को उ0न0 प्रिन्स मिश्रा मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान कौड़िया से ही कप्तानगंज से एक व्यक्ति किशन उर्फ कृष्णा पुत्र राजेश यादव निवासी मठगोविन्द थाना कप्तानगंज आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को 01 देशी तमंचा .315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर के साथ समय 9.55 PM बजे रात को हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 277/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1-किशन उर्फ कृष्णा पुत्र राजेश यादव निवासी मठगोविन्द थाना कप्तानगंज आजमगढ़ बरामदगी –

1-01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 277/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. वरिष्ठ उ0नि0 विजय सिंह गौड़ थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ।
2. उ0नि0 प्रिन्स मिश्रा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ।
3. का0 अप्पू प्रसाद थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ।
4. का0 अजय कुमार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ।
5. का0 सुधाशु सिंह थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ।



03.थाना देवगाव: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक- 12.09.2025 को उ0नि0 सुभाष तिवारी मय हमराह उ0नि0 हरिशचन्द्र यादव, मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त निखिल सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम व्योहरा थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ को हाईड्रिल तिराहा के पास से 02 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना देवगाँव पर मु0अ0सं0 321/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

बरामदगी का विवरण:-

- 1 निखिल सिंह उम्र करीब 22 वर्ष के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
2. बाल अपचारी के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार/पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त:-

- 1.निखिल सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम व्योहरा थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़- निल
2. बाल अपचारी

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

1. उ0नि0 सुभाष तिवारी प्रभारी चौकी प्रभारी लालगंज थाना देवगाँव आजमगढ़
2. उ0नि0 हरिशचन्द्र यादव थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़



प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 12.09.2025 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यों के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि 2 वर्ष 3 माह के कारावास व प्रत्येक को 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना रानी की सराय: गैंगेस्टर एक्ट में 02 आरोपी अभियुक्तों को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि 2 वर्ष 3 माह के कारावास व प्रत्येक को 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

→ दिनांक-08.01.2008 को वादी मुकदमा थानाध्यक्ष विनय चन्द शुक्ल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्तगण 1. शिव बचन यादव पुत्र जीता यादव 2. रमेश यादव पुत्र राम बदन यादव निवासीगण चकवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यों के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना।

→ अभियुक्त के विरुद्ध थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0- 48/2008 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया।

→ अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

→ जुर्म स्वीकृत के आधार पर।

→ जिसके क्रम में दिनांक-12.09.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. शिव बचन यादव पुत्र जीता यादव 2. रमेश यादव पुत्र राम बदन यादव निवासीगण चकवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि 2 वर्ष 3 माह के कारावास व प्रत्येक को 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 12.09.2025 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यों के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि 7 वर्ष 9 माह 19 दिवस के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना रानी की सराय: गैंगेस्टर एक्ट में 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि 7 वर्ष 9 माह 19 के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

→ दिनांक-29.11.1997 को वादी मुकदमा थानाध्यक्ष राज नारायण सिंह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्तगण राम बचन यादव पुत्र जीता यादव निवासी चकवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यों के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना।

→ अभियुक्त के विरुद्ध थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0- 437/1997 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया।

→ अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

→ जुर्म स्वीकृत के आधार पर।

→ जिसके क्रम में दिनांक-12.09.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राम बचन यादव पुत्र जीता यादव निवासी चकवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि 7 वर्ष 9 माह 19 के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 12.09.2025 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यों के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि 7 वर्ष 9 माह 19 दिवस के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना रानी की सराय: गैंगेस्टर एक्ट में 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि 7 वर्ष 9 माह 19 दिवस के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

→ दिनांक-29.11.1997 को वादी मुकदमा थानाध्यक्ष राज नारायण सिंह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्तगण शिव बचन यादव पुत्र जीता यादव निवासी चकवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यों के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना।

→ अभियुक्त के विरुद्ध थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0- 436/1997 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया।

→ अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

→ जुर्म स्वीकृत के आधार पर।

→ जिसके क्रम में दिनांक-12.09.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शिव बचन यादव पुत्र जीता यादव निवासी चकवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि 7 वर्ष 9 माह 19 दिवस के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

